संख्या-12/2063/26-2-2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 अगस्त, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का आनलाइन भौतिक सत्यापन कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजनों का आनलाइन भौतिक सत्यापन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल एवं मई में पेंशनरों के भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश हैं।

2- प्रदेश स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त वृद्धजनों का एन0आई0सी0 द्वारा एक डाटाबेस बनाया गया है, जो **swd.up.nic.in** पर उपलब्ध हैं, जिसमें प्रदेश के समस्त वृद्धावस्था पेंशनरों से सम्बन्धित डाटा यथा पेंशनर्स का नाम, पिता/पति का नाम, बैंक का शाखा सहित नाम, बैंक खाता संख्या, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड का नाम, वार्ड का नाम इत्यादि विवरण उपलब्ध है।

3- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से आनलाइन वेरीफिकेशन किये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा एक संशोधित साफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को ''एक लागिन पासवर्ड'' उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग करके जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपद में सत्यापन के उपरान्त साफ्टवेयर मृतक/अपात्र पाये गये पेंशनर्स का नाम, अपात्र होने का कारण, सत्यापन अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित करेगा, ताकि सत्यापन के कार्य में पारदार्शिता एवं स्पष्टता दर्शित हो सके। जनपद कार्यालय द्वारा मूल डाटाबेस में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, केवल पेंशनर्स के विवरण जैसे पेंशनर्स का खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड इत्यादि में यदि संशोधन किया जाना आवश्यक है, तो साफ्टवेयर में उसका प्राविधान किया गया है। इस हेतु जनपदों द्वारा वर्ष 2013-14 में निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया गया डाटाबेस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार जनपद में उत्पन्न हुई नवीन रिक्तियों के सापेक्ष चयनित पेंशनरों का नाम साफ्टवेयर में जोड़ा जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन में मृतक/अपात्र पाये गये पेंशनरों का विवरण ओ0ए0पी0-8 रजिस्टर पर अंकित कराया जायेगा। इसी प्रकार नवीन चयनित लाभार्थियों का भी ग्रामसभा/नगरीयवार विवरण ओ0ए0पी0-8 रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाएगा, जिसका व्यक्तिगत उत्तरादायित्व सम्बन्धित पटल सहायक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।

5- इस प्रकार जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने जनपद में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का सत्यापन साफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे एवं संशोधनपरान्त उसे डिजिटली साइन करके लाक कर देंगे। लाक किये जाने के उपरान्त डाटा में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

पृ0संख्या-2063(1)/26-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0 राम मोहन राव
सचिव।

http:shasanadesh.up.nic.in